न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 34 / 2020
निर्णय दिनांकः— 20.07.2021

पीठासीन अधिकारीः— गौरीशंकर शर्मा (आर0ए0एस0)

1. दिनेश सोनी पुत्र देवीनारायण सोनी जाति सुनार निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भूरा पुत्र लादू (मृतक)
   1/1 बजरंग पुत्र स्वं0 भूरा
   1/2 मुकेश पुत्र स्वं0 कैलाश पुत्र स्व0 भूरा जाति बलाई निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. कजोडमल पुत्र कल्याण
3. प्रहलाद पुत्र कल्याण
4. भूरी देवी पत्नी सूरजकरण
5. मनभर देवी पत्नी चन्दाराम
6. हनुमान पुत्र कल्याण
   समस्त जातियान अहीर निवासी अहिरों की ढाणी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री हनुमान सहाय सिंहाग वकील प्रार्थी
श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील अप्रार्थी सं0 1/1, 1/2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 20.07.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 827/1 रकबा 2.0864 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि मे जब अप्रार्थीगण/पडौसी खातेदरा काश्तकार है जो मेर कोर को लेकर विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 18.06.2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब फागी के आदेश कमांक एल0आर/2019/2744 दिनांक 04.06.2019 की अनुपालना मे ग्राम नीमेडा के ख0न0 827/1 भूमि मे सीमाज्ञान हेतु मय राजस्व रिकार्ड मौके पर पहूँचा मौके पर आवेदक काश्तकार एवं अन्य ग्रामवासी भी उपस्थित आये मुताबिक नक्शा लट्टा के ख0न0 827/1 का सीमाज्ञान जरीब चलाकर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

मौके पर निशानतात कायम कर ख0न0 827/1 का सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2020 को सीमाज्ञान एवं कायम किया निशानात को पडौसी खातेदार नही मानते तथा प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा मेर कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है। सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2020 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण मे पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्रााधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की और से वकील श्री गोविन्दसिंह पंवार ने वकालतनामा व जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे बताया की प्रार्थना पत्र मे उठाई गई आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 की तलवी जरिये रजि0एडी किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नही आये। इसलिये दिनांक 04.03.2021 को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं0 1/1 व 1/2 ने अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेडा मे

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

लगातार.....3

स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2075 – 2078 वाके ग्राम नीमेडा के ख0न0 827/1 मे प्रार्थी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि का दिनांक 18.6.2020 को सीमाज्ञान हो चुका है लेकिन अप्रार्थी ने उक्त सीमाज्ञान का खण्डन किया है। इसलिए पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नही बने इस बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 827/1 रकबा 2.0864 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात का दोनो पक्षो की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। तहसीलदार फागी को पालनार्थ पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर